

विभाग का नाम :- खाद्य संरक्षा विभाग

विभाग का पता :- आठवां तल, मयूर भवन, क्लॉट प्लेस, नई दिल्ली. 110001

ताराकित/अताराकित प्रश्न संख्या :- 219-अताराकित

दिनांक:- 10.08.2017

प्रश्नकर्ता का नाम :-सुश्री अलका लाम्बा

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :-

	प्रश्न	उत्तर																														
क	वर्ष 2015-17 में भोजन में खराबी के कितने मामले विभाग के सामने आए,	वर्ष 2015-17 में भोजन में मिलावट के मामले विभाग के सामने आए, <table border="1"><thead><tr><th>वर्ष</th><th>उठाये गए नमूनों की संख्या</th><th>मिथ्याछाप</th><th>अवमानक</th><th>असुरक्षित</th><th>अन्य उल्लंघन</th></tr></thead><tbody><tr><td>2015 (जनवरी से दिसम्बर)</td><td>1680</td><td>101</td><td>41</td><td>73</td><td>33</td></tr><tr><td>2016 (जनवरी से दिसम्बर)</td><td>945</td><td>44</td><td>22</td><td>30</td><td>16</td></tr><tr><td>2017 (जनवरी से जून तक)</td><td>786</td><td>35</td><td>07</td><td>11</td><td>05</td></tr><tr><td>कुल</td><td>3411</td><td>180</td><td>70</td><td>114</td><td>54</td></tr></tbody></table>	वर्ष	उठाये गए नमूनों की संख्या	मिथ्याछाप	अवमानक	असुरक्षित	अन्य उल्लंघन	2015 (जनवरी से दिसम्बर)	1680	101	41	73	33	2016 (जनवरी से दिसम्बर)	945	44	22	30	16	2017 (जनवरी से जून तक)	786	35	07	11	05	कुल	3411	180	70	114	54
वर्ष	उठाये गए नमूनों की संख्या	मिथ्याछाप	अवमानक	असुरक्षित	अन्य उल्लंघन																											
2015 (जनवरी से दिसम्बर)	1680	101	41	73	33																											
2016 (जनवरी से दिसम्बर)	945	44	22	30	16																											
2017 (जनवरी से जून तक)	786	35	07	11	05																											
कुल	3411	180	70	114	54																											
ख	कितने मामलों में खाने में खराबी पाये जाने के बाद एफ.आई.आर दर्ज करवाई गई,	विभाग द्वारा एफ.आई.आर दर्ज नहीं कराया जाता है, बल्कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के जाँच-विश्लेषण के आधार पर सीधे सम्बंधित न्यायालय में खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत शिकायत/मुकदमा दर्ज कराई जाती है। पिछले तीन वर्षों में 311 मुकदमों सम्बंधित न्यायालय में दर्ज कराए गए हैं।																														
ग	कितने मामलों में अब तक सजा हो पाई,	अबतक इस अवधि में (01-07-2015 से 30-07-2017) सम्बंधित न्यायालयों द्वारा 204 शिकायतों/मुकदमों में सजा दी गई है।																														
घ	कितने मामलों अभी लंबित हैं, और	अभी तक 434 शिकायतों/मुकदमों सम्बंधित न्यायालयों में लंबित है।																														
ङ	समय पर कार्रवाई ना किए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है?	बिना कारण विलम्ब/समय पर कार्रवाई न किए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाती है।																														